कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कॉपरेटिव) की बैठक सं0 02/2001 दिनांक 6-1-2001 को सायं 3.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1- श्री आर.एस. गठाला, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।

2- श्री आर. दयाल, निदेशक(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।

3- श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे -

1- श्री वी.पी. सिंह, उपायुक्त, जोन बी-1, जविप्रा, जयपुर ।

2- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

3- श्री जी.एल. जालवाल, सहायक नगर नियोजक, बी-1, जविप्रा, जयपुर ।

4- श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक(कॉपरेटिव) जविप्रा, जयपुर ।

---

(1) एजेण्डा आईट्मस -

1.1- एजेण्डा सं0 02/2001-1 :- अपोलो नगर हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी की योजना विश्वेसरिया नगर के अनुमोदन के संबंध में :-

वरिष्ठ नगर नियोजक(कॉपरेटिव) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं जोन द्वारा प्रेषित प्रपत्रों पर विचार-विमर्श किया गया । उपायुक्त, जोन बी-1 द्वारा बताई गई मौके की स्थिति के आधार पर योजना का अनुमोदन निम्नांकित शर्तों के साथ किया गया -

1. पूर्व में लिये गये नीतिगत निर्णय की अनुपालना में योजना में दुकानों का अधिकतम क्षेत्रफल 2% रखने की अनुमति दी गयी । यदि इससे अधिक क्षेत्रफल में दुकाने प्रस्तावित की गयी है तो 2% से अधिक क्षेत्रफल की दुकानों को अनुमोदित नहीं किया जाये ।

2. गोपालपुरा बाईपास के दक्षिण में एवं भूखण्ड सं0 1 ए एवं 1 बी के साथ-साथ प्रस्तावित 60 फिट चौड़ी रोड़ पर गोपालपुरा बाईपास रोड़ के दोनों बिन्दुओं पर निर्धारित कर दिये जाये ।

3. योजना मानचित्र में एल से नामित भूखण्डों एवं खातेदार की भूमि में सृजित भूखण्डों को अस्वीकृत किया गया ।

....2

31

4· दुकान सं0 22 एवं भूखण्ड़ सं0 214 के सामने व भूखण्ड़ सं0 38 और 39 के बीच प्रस्तावित 20 फिट की लेन को 25 फिट किया जाये ।

5· दुकान सं0 1 से 21 के सामने उपलब्ध 10 फिट भूमि को पार्किंग हेतु आरक्षित रखा जाये ।

6· दुकान सं0 ए-2 के सामने सड़क के केन्द्र बिन्दु से दूरी 78 फिट है जिसे 80 फिट किया जाये । इसी प्रकार भूखण्ड़ सं0 76 व 89 के मध्य की सड़क मौके पर 38`-6" है जिसे 40 फिट किया जाये । इसी प्रकार भूखण्ड सं0 69 व 109 के मध्य की सड़क मौके पर 59 फिट है जिसे 60 फिट किया जाये ।

7· योजना में कुछ राजकीय भूमि भी शामिल है जिसे राजकीय दरों पर नियमित करने की स्वीकृति दी गयी ।

8· योजना का आवासीय क्षेत्रफल 60% से अधिक है जिसे राजकीय आदेश क्रमांक: प 5(3)नविवि/3/99 दिनांक 10-7-99 की अनुपालना में शिथिलता देते हुए नियमित करने का निर्णय लिया गया ।

1·2- एजेण्ड़ा सं0 02/001- 2 :- अपोलो नगर गृ·नि·स· समिति की योजना लालबहादुर नगर के अनुमोदन के संबंध में :-

वरिष्ठ नगर नियोजक(कॉपरेटिव) द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा एवं जोन द्वारा प्रेषित प्रपत्रों पर विचार-विमर्श किया गया । उपायुक्त, जोन बी-1 द्वारा बताई गई मौके की स्थिति के आधार पर योजना का अनुमोदन निम्नांकित शर्तों के साथ किया गया -

1· गृह निर्माण सहकारी समिति ने जो योजना प्रस्तुत की है उसमे जिस जगह पार्क दर्शाया हुआ है वहां मौके पर निर्माण है और अन्य भूखण्डधारियों का मौके पर कब्जा है । अत: योजना मानचित्र में अंकित ए बी सी डी भाग की मौके की स्थिति का पुन: सर्वे कराया जाए और तब तक इस भाग को लम्बित रखे जाने का निर्णय लिया गया ।

2· भूखण्ड़ सं0 20 के पूर्व में जो 30 फिट की रोड़ प्रस्तावित है उसके बारे में देखा जाये की क्या यह उत्तर दिशा में सीधी जा सकेगी, यदि यह रोड़ सीधी जा सके तो इसे सीधी किया जाकर आगे की योजना से मिलाया जाये ।

....3

 32

3· गृह निर्माण सहकारी समिति ने 71% क्षेत्र में आवासीय क्षेत्रफल दर्शाया है अतः राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 5(3)नविवि/3/99 दिनांक 10-7-99 की अनुपालना में शिथिलता देते हुए अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया ।

4· योजना में जो भी सड़कें 20 फिट दर्शित है उन सभी को 30 फिट किया जाये ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(कांपरेटिव)
जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांक: जविप्रा/वननि/कांपरेटिव/2001/डी-26
दिनांक :27-1-2001

प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
3- निदेशक(आयोजना)/(विधि)/(वित्त)/(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।
4- अति·आयुक्त(भूमि एवं योजनाएं) जविप्रा, जयपुर ।
5- उपायुक्त(प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक, जोन बी-।, जविप्रा, जयपुर ।
6- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।

सदस्य सचिव,
बीपीसी-।।(कांपरेटिव)